संख्या- 5/2018/2055/ सत्रह-म-2018-10-5(54)/97

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0,
लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 06 मार्च,2018

विषय: कुक्कुट पालन योजनान्तर्गत क्रय तथा वर्तमान में अवशेष /अप्रयुक्त निर्माण सामग्री के निस्तारण के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-29/2017/1861/सत्रह-म-2017-10-5(54)/97 दिनांक 13 अक्टूबर,2017 के क्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या–1420/मविनि/प्र0नि0/निर्माण/2017 दिनांक 14.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नीलामी समिति की बैठक दिनांक 17.10.2017 में लिए गये निर्णय के क्रम में दिनांक 21.09.2017 को सम्पन्न ई-नीलामी में लाट संख्या- 01,02,08, एवं 11 हेतु आरक्षित /आधार मूल्य से अधिक प्राप्त उच्चतम बोलियों को स्वीकार करने, लाट संख्या- 01,02,05,06,07,08,09,10,11 एवं 12 (कुल 10 लाट) हेतु दिनांक 31.05.2017 एवं दिनांक 21.09.2017 को सम्पन्न ई-नीलामियों में प्राप्त उच्चतम बोलियों के आधार पर प्राप्त होने वाली अधिकतम धनराशि रू0 1,01,86,276.00 को स्वीकार करने तथा शेष लाट संख्या- 03,04, एवं 13 हेतु मैसर्स एम0एस0टी0सी0 लि0 के माध्यम से पुन: ई-नीलामी की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(अ) दिनांक 21.09.2017 को सम्पन्न ई-नीलामी में लाट संख्या- 01,02,08 एवं 11 हेतु आधार मूल्य से अधिक प्राप्त उच्चतम बोलियों को स्वीकार कर लिया जाय।

(ब) शेष लाट संख्या- 03,04 एवं 13 हेतु पुन: ई-नीलामी की कार्यवाही की जाय।

(स) दिनांक 31.05.2017 एवं 21.09.2017 को सम्पन्न ई-नीलामियों में लाट संख्या- 01,02, 05, 06,07, 08,09,10,11 एवं 12 (कुल 10 लाटों) हेतु आरक्षित /आधार मूल्य से अधिक प्राप्त उच्चतम बोलियों के आधार पर प्राप्त होने वाली अधिकतम धनराशि रू0 1,01,86,276.00 को स्वीकार कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या 5/ 2018/2055/ सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/पशुधन/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण/सार्वजनिक उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- निदशक/संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http:// shasnadesh up nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।